सत्यमेव जयते

षोडश

बिहार विधान सभा

त्रयोदश सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-1

सोमवार, तिथि 17 आषाढ़, 1941 (श०) / 8 जुलाई, 2019 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 67

(1)	गृह विभाग	49
(2)	सामान्य प्रशासन विभाग	07
(3)	गन्ना उद्योग विभाग	03
(4)	उद्योग विभाग	01
(5)	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	03
(6)	सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग	01
(7)	सूचना प्रावैधिकी विभाग	02
(8)	वाणिज्य-कर विभाग	01
	कुल योग —	67

गिरफ्तार करना

*445. श्री महबूब आलम--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत बलरामपुर प्रखंड के ग्राम-रोशनगंज निवासी मो0-खुशदिल की हत्या अपराधियों द्वारा कर दी गयी थी जिसका बलरामपुर थाना में कांड संख्या 37/19, दिनांक 15 मार्च, 2019 दर्ज है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कांड के नामजद मुख्य अभियुक्त संजीव मिश्रा का नाम आई0 ओ0 द्वारा केस से हटा दिया गया है जिसके चलते अभीतक संजीव मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं हो पायी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त घटना के नामजद मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी कबतक कराने का विचार रखती है , नहीं, तो क्यों ?

बरामद करना

*446. श्री यदुवंश कुमार यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सुपौल जिलान्तर्गत त्रिवेणीगंज प्रखंड के त्रिवेणीगंज थाना में थाना कांड संख्या 231/17 दर्ज है जिसमें स्कॉर्पियों वाहन संख्या 43बी 1272 गायब है, लेकिन आजतक उक्त गायब स्कॉर्पियों को बरामद नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त गायब स्कॉर्पियों को कबतक बरामद कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबन्दी

*447. श्री मनोहर प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत अमदाबाद प्रखंड के अमदाबाद बड़ी कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास निर्माण कराना

*448. डॉ0 अब्दुल गफूर--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी जिलों में अल्पसंख्यक छात्राओं को पठन-पाठन हेतु अल्पसंख्यक गर्ल्स छात्रावास नहीं है, जिसके कारण अल्पसंख्यक छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में अल्पसंख्यक गर्ल्स छात्रावास का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शामिल करना

*449. श्री मोहम्मद नवाज आलम--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पाली, संस्कृत, फारसी, अरबी आदि की तरह ही बिहार सहित भारत के अनेक विश्वविद्यालयों में प्राकृत भाषा पढ़ाई जाती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्राकृत भाषा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) में एक विषय के रूप में स्वीकृत है, परन्तु बिहार लोक सेवा आयोग में प्राकृत भाषा को अबतक स्वीकृत विषयों की सूची में शामिल नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों में उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्राकृत भाषा को बिहार लोक सेवा आयोग में ऐच्छिक विषय के रूप में शामिल करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*450. श्री शाहनवाज--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत पलासी प्रखंड बरबट्टा पंचायत के फरसाडांगी कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नियमित करना

'क'-*451. श्री शकील अहमद खाँ--क्या मंत्री, सूचना प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के विभिन्न विभागों में दस हजार डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/कम्प्यूटर ऑपरेटर विगत 8 वर्षों से संविदा पर कार्यरत हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त डाटा ऑपरेटरों को आजतक नियमित नहीं किया गया है और समय पर मानदेय नहीं मिलता है जिसके कारण आर्थिक संकट झेलना पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त डाटा ऑपरेटर को कबतक नियमित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

परिसदन बनाना

*452. श्रीमती भागीरथी देवी--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिला अन्तर्गत गौनाहा प्रखंड जिला मुख्यालय बेतिया से 70 किलो मीटर की दूरी पर अवस्थित है एवं उक्त प्रखंड वन क्षेत्र से सटे हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि गौनाहा प्रखंड में जन-प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों को ठहरने के लिये परिसदन नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गौनाहा प्रखंड मुख्यालय में परिसदन बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास निर्माण कराना

*453. डॉ0 अब्दुल गफूर--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला मुख्यालय में अल्पसंख्यक छात्रावास छात्रों के अनुपात में नहीं रहने के कारण छात्रों को पठन-पाठन में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जिला मुख्यालय में एक अतिरिक्त छात्रावास का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नोट--'क'-सामान्य प्रशासन विभाग से सूचना प्रावैधिकी विभाग को स्थानान्तरित।

छात्रावास का निर्माण

*454. श्री राजेन्द्र कुमार--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में प्रखंड स्तर पर अल्पसंख्यक छात्रावास नहीं है, जिसके कारण अल्पसंख्यक बच्चों को पठन-पाठन में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार राज्य के सभी प्रखंडों में अल्पसंख्यक छात्रावास बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*455. श्री प्रभुनाथ प्रसाद--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि आरा (भोजपुर) जिला के गड़हनी प्रखंड अन्तर्गत बड़ौरा पंचायत के ग्राम-गौरा में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापना करना

*456. श्री सैयद अबु दौजाना--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के पुपरी अनुमंडल मुख्यालय अन्तर्गत ट्रैफिक पुलिस की पदस्थापना नहीं रहने के कारण कर्पूरी चौक से टावर चौक तक तथा नागेश्वर स्थान से पुपरी-सीतामढ़ी पथ तक बराबर जाम की समस्या बनी रहती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बराबर जाम की समस्या के कारण आम नागरिकों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थानों पर स्थायी ट्रैफिक पुलिस की पदस्थापना करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी नौकरी देना

**457. डॉ0 रंजु गीता--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नगीना चौधरी एवं बंधु चौधरी, जमुई की दिनांक 12 नवम्बर, 1993 को गोली मारकर हत्या कर दी गयी जिसके संबंध में सिकन्दरा थाना कांड संख्या 191, दिनांक 12 नवम्बर, 1993 धारा 302/34 भा0 द0 वि0 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि स्व0 नगीना चौधरी की विधवा बसन्ती देवी ने अंचलाधिकारी, सिकन्दरा को परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी एवं मुआवजा हेतु आवेदन दिया था जिसे अंचलाधिकारी ने समुचित अनुदान/सहाय्य की स्वीकृति हेतु अभिलेख अनुमंडल पदाधिकारी, जमुई को अग्रसारित किया, तदोपरांत समाहर्ता, जमुई ने अपने पत्रांक 119/रा0, दिनांक 3 अप्रील, 1996 द्वारा अनुशंसा करते हुए संबंधित अभिलेख सचिव, गृह विभाग को विचारार्थ भेजा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार स्व0 नगीना चौधरी के आश्रित को सरकारी नौकरी एवं नियमानुसार आर्थिक मदद देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*458. श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला सीवान के प्रखंड गोरियाकोठी के पंचायत मुस्तफाबाद में कब्रिस्तान की घेराबंदी 2 वर्षों से चल रही है, लेकिन आजतक पूरा नहीं हुआ है एवं कब्रिस्तान में प्राक्कलन के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान निर्माण की जाँच कराकर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*459. श्री अमीत कुमार--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बैरगनिया प्रखंड के परसौनी पंचायत ग्राम के कब्रिस्तान पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है जिससे अल्पसंख्यकों में भय का वातावरण कायम है ;

(2) यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण करवाना

*460. श्री विनय बिहारी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिला के लौरिया विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत योगापट्टी प्रखंड के दोनों थानों नवलपुर एवं शनीचरी में थाना भवन नहीं है, लेकिन डेढ़ साल पूर्व भूमि उपलब्ध होने के बाद आजतक दोनों थाना भवन का निर्माण कार्य अभीतक शुरू नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों स्थानों पर थाना भवन का निर्माण कबतक करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*461. श्रीमती सुनीता सिंह चौहान--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शिवहर जिलान्तर्गत तरियानी प्रखंड में स्थित खोंता एवं खोंता बीबी टोला स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जिला का दर्जा देना

*462. श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार में 38 जिला तथा 40 संसदीय क्षेत्र हैं, महाराजगंज संसदीय क्षेत्र को जिला से वंचित रखा गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि महाराजगंज संसदीय क्षेत्र का प्रखण्ड बसंतपुर जिला मुख्यालय से 50 किलो मीटर की दूरी पर अवस्थित है तथा जिला बनाने हेतु 15 लाख की जनसंख्या आदि सभी शर्तों को पूरा करता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बसंतपुर प्रखण्ड को जिला का दर्जा देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कारगर कदम उठाना

*463. श्री आलोक कुमार मेहता--स्थानीय समाचार-पत्र में दिनांक 8 जून, 2019 को प्रकाशित शीर्षक ''अपराध पर अंकुश जरूरी'' के आलोक में क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार कानून व्यवस्था पर लम्बे-चौड़े दावे के बावजूद हत्या, लूट, डकैती, अपहरण की घटनाओं पर अंकुश नहीं लगा पा रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पुलिस की कार्यशैली में अपेक्षित बदलाव एवं बेहतर प्रशिक्षण के साथ आधुनिक संसाधनों का अभाव है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त घटनाओं के रोक-थाम के लिये पुलिस को प्रशिक्षण सहित आधुनिक संसाधन जुटाने हेतु कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*464. श्री जिवेश कुमार--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के जाले प्रखंड के सहसपुर पंचायत स्थित चंदौना, मंधारी टोला पर खाता संख्या 199 (पु०), 589 (नया), खेसरा संख्या 256 (पु०), 308 (नया), रकबा 2.5 धूर अतिक्रमित भूमि को दिनांक 16 मई, 2018 को भूमि सुधार उप-समाहर्ता के आदेश पर खाली करा दिया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त अतिक्रमणमुक्त जमीन को अतिक्रमित होने के बाद जिलाधिकारी दरभंगा के आदेश पर पुन: 9 जनवरी, 2019 को उक्त भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराया गया पुन: उक्त भूमि को अतिक्रमित कर लिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के साथ-साथ कोताही बरतने वाले पदाधिकारी तथा अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*465. श्री यदुवंश कुमार यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सुपौल जिला के पिपरा प्रखंडान्तर्गत ग्राम-कटैया स्थित हिन्दु-मुस्लिम आस्था का केन्द्र लाल खाँ दरगाह (कब्रिस्तान) का घेराबंदी नहीं कराया गया है, घेराबंदी नहीं रहने के कारण उक्त स्थल की पवित्रता एवं सुरक्षा को लेकर बीते दिनों किसी-न-किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित होती रहती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दरगाह (कब्रिस्तान) की घेराबंदी कबतक करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*466. श्री (मोहम्मद) नवाज आलम--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत आरा विधान सभा क्षेत्र में कब्रिस्तान की घेराबंदी हेतु नयी सूची तैयार कर कार्यपालक अभियंता-योजना विभाग, भोजपुर द्वारा 6 माह पूर्व गृह विभाग, पटना एल० ई० ओ०-1 को सौंप दी गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि एल० ई० ओ०-1 ने अभीतक सभी कब्रिस्तानों की नापी नहीं कराया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई कर आरा विधान सभा क्षेत्र की कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी की मरम्मती

*467. श्री मुजाहिद आलम--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत कोचाधामन प्रखंड के पोठीमारी जागीर, सोन्था, शाहपुर एवं दोघरया,अन्धासुर कब्रिस्तानों की चहारदीवारी अगस्त, 2017 के प्रलयंकारी बाढ़ में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इतने दिनों बाद भी उक्त कब्रिस्तानों के क्षतिग्रस्त चहारदीवारी का मरम्मतीकरण/पुनर्निर्माण नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तानों के क्षतिग्रस्त चहारदीवारी का मरम्मतीकरण/पुनर्निर्माण करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*468. डॉ० अशोक कुमार--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के रोसड़ा अनुमंडल बिहार राज्य के सबसे पुराने नगरपालिका में से एक है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त अनुमंडल जिला बनने के लिये सभी आर्हताएँ पूरा करता है ;

(3) क्या यह बात सही है कि इससे संबंधित प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा जिला/अनुमंडल/प्रखंड/अंचल पुनर्गठन हेतु गठित समिति द्वारा वर्ष 2016 से विचाराधीन है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार रोसड़ा को जिला के रूप में अधिसूचित करने की दिशा में कौन-सी कार्रवाई कर रही है ?

मोबाईल फोन मुहैया कराना

*469. श्री भोला यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार के निर्णय के अनुसार राज्य के सभी थानों/ओ० पी० के थाना प्रभारी/ओ० पी० प्रभारी को सरकारी मोबाईल फोन उपलब्ध कराना है ;

(2) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला सहित राज्य के 400 (चार सौ) से अधिक थाना/ओ० पी० में कार्यरत प्रभारियों को उक्त निर्णय के आलोक में अभीतक सरकारी मोबाईल फोन मुहैया नहीं कराये जाने के कारण वे लोग निजी मोबाईल फोन उपयोग में लाते हैं तथा स्थानांतरित होने की स्थिति में उनका मोबाईल नं० भी बदल जाता है जिससे विधि-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा आमजन को भी काफी कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य के सभी थाना/ओ० पी० प्रभारियों को कबतक सरकारी मोबाईल फोन मुहैया कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*470. श्री अमीत कुमार--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत सुप्पी प्रखंड के घडवारा पंचायत के शेख टोली के कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने से असमाजिक तत्वों द्वारा कब्जा किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रोन्नति देना

*471. श्री अनिल सिंह--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 11398, दिनांक 23 अगस्त, 2016 द्वारा निर्देश जारी किया गया है कि प्रोन्नति के पद पर अनुबंध के आधार पर नियुक्ति नहीं की जाये ;

(2) क्या यह बात सही है कि समाहरणालय, बेगूसराय में प्रधान लिपिक के 49 स्वीकृत पदों के विरुद्ध मात्र एक प्रधान लिपिक कार्यरत हैं तथा शेष रिक्त 48 पदों पर सेवानिवृत्त प्रधान लिपिकों को संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि समाहरणालय, बेगूसराय के अंतर्गत प्रधान लिपिक के पद पर प्रोन्नति हेतु 100 से अधिक लिपिक मात्र हैं ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक प्रधान लिपिक के पद पर समाहरणालय, बेगूसराय में प्रोन्नति देने का विचार रखती है ?

थाना से मुक्त कराना

*472. श्री प्रहलाद यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि लखीसराय जिला के किउल रेलवे जं० के पास किउल धर्मशाला, वृन्दावन में स्थित है जो बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् में वर्षों से निबंधित है जिसका निबंधन संख्या 2816 है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिना बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् की अनुमति लिये दिनांक 10 फरवरी, 2019 को किउल धर्मशाला में जिला प्रशासन द्वारा किउल थाना खोला गया है, थाना खुलने से आमलोगों का ठहरना तथा आस-पास के पंचायत तथा स्थानीय लोगों के शादी विवाह, पूजा पाठ एवं यज्ञ सभी बंद हो गये हैं, इस संदर्भ में पत्रांक 1966, दिनांक 13 फरवरी, 2019 के माध्यम से बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् ने भी अपनी आपत्ति पुलिस अधीक्षक, लखीसराय से की है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार जनहित में किउल धर्मशाला, वृन्दावन को पुलिस थाना से मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मॉडल थाना का निर्माण

*473. श्रीमती पूनम देवी यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला मुख्यालय का टाउन थाना का भवन जर्जर एवं बेकार है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार का निर्णय है कि राज्य के सभी थाना को मॉडल थाना बनाया जाये, ताकि राज्य की पुलिस व्यवस्था सुलभ हो सके ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खगड़िया नगर परिषद् क्षेत्र अन्तर्गत नगर थाना के लिये सरकारी भू-खण्ड को चिह्नित कर मॉडल थाना बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

परिवर्तित करना

*474. श्रीमती अरुणा देवी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिला के पकरीवरावाँ प्रखंड अन्तर्गत धमौल बाजार में ओ० पी० अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त ओ० पी० पकरीवरावाँ थाना से 10 कि० मी० दूरी पर है तथा नक्सल प्रभावित इलाका है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उपर्युक्त ओ० पी० को थाने में परिवर्तित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

संचालन कराना

*475. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, सूचना प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार ने सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु विडियो कोन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंड में बीआईसी भवन तथा अनुमंडल में पौप-अप रूम को व्यवस्थित करने का निर्णय दो वर्ष पूर्व लिया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के चकिया अनुमंडल तथा कल्याणपुर प्रखंड सहित राज्य के अन्य जगहों पर बीआईसी भवन तथा पौप-अप रूम व्यवस्थित नहीं होने से विडियो कोन्फ्रेंसिंग का संचालन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बीआईसी भवन एवं पौप-अप रूम कबतक व्यवस्थित कर विडियो कोन्फ्रेंसिंग का सही संचालन कराने का विचार रखती है ?

चेक पोस्ट बनाना

*476. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह--क्या मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत बारून प्रखंड में जी० टी० रोड पर चेक पोस्ट नहीं रहने के कारण हजारों ट्रकों का अधिभारित परिचालन होता है जिससे प्रतिदिन बिहार सरकार को राजस्व की क्षति होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थल पर चेक पोस्ट कबतक बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जाम से छुटकारा दिलाना

*477. श्री अशोक कुमार सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला के रामगढ़ प्रखंड के रामगढ़ दुर्गाचौक पर ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था नहीं होने के कारण जाम लगा रहता है, जबकि उक्त चौक से बिहार एवं उत्तर प्रदेश के वाहन आते जाते हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार रामगढ़ दुर्गाचौक पर ट्रैफिक की व्यवस्था कर जाम से छुटकारा दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चीनी उद्योग लगाना

*478. श्रीमती सावित्री देवी--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई जिलान्तर्गत सोनो प्रखंड के ग्राम-केशोफरका एवं हरिरायडीह में गन्ना की खेती अधिकांश मात्रा में की जाती है, लेकिन चीनी मिल नहीं होने के कारण गन्ना के क्रय-विक्रय हेतु दूर जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों गाँवों में चीनी उद्योग लगाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*479. श्रीमती एज्या यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला अन्तर्गत मोहिउद्दीनगर प्रखंड के दुबहा गाँव एवं सिवैसिंगपुर गाँव के कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के कारण अतिक्रमण एवं विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*480. श्रीमती गायत्री देवी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत परिहार प्रखंड के अन्दौली गाँव में कब्रिस्तान की घेराबंदी अभीतक नहीं हुयी है, यदि हाँ, तो सरकार अन्दौली कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*481. श्री (मो०) शाहनवाज--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत जोकीहाट प्रखंड के सिसौना कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापना करना

*482. श्री सैयद अबू दौजाना--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के सुरसंड प्रखंड अन्तर्गत सुरसंड टावर चौक से भीट्ठा मोड़ से भारत-नेपाल सीमा को जोड़ती है, सुरसंड टावर चौक से लेकर मीना बाजार तक ट्रैफिक पुलिस की स्थाई पदस्थापना नहीं रहने के कारण हमेशा जाम की समस्या बनी रहती है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त स्थान पर जाम के कारण आवागमन हमेशा 3-4 घंटा तक बाधित रहने से आमजनों को काफी कठिनाई होती है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त स्थान पर स्थाई रूप से कबतक ट्रैफिक पुलिस की पदस्थापना करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्थान की घेराबन्दी

*483. श्री विनोद प्रसाद यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत नगर पंचायत शेरघाटी गढ़ मोहल्ला में बुढ़ी नदी के किनारे पोजाबा कब्रिस्तान एवं लोदी शहिद में मौलाना दरगाह कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित कब्रिस्तानों की घेराबन्दी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना

*484. श्रीमती पूनम देवी यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के काराओं में बंद महिला बंदियों को स्वावलम्बन हेतु प्रशिक्षण देने का सरकार द्वारा निर्णय दो वर्ष पूर्व लिया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि खगड़िया मंडल कारा और मुंगेर मंडल कारा में बंद महिला कैदियों को स्वावलम्बन हेतु प्रशिक्षण का कोई कार्यक्रम नहीं चलाया जाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त कारा में महिलाओं को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम कबतक कार्यान्वयन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भुगतान करना

*485. <u>श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह</u>--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गन्ना प्रभेद बी0ओ0 2061 को विष्णु सुगर मिल, गोपालगंज प्रति क्विंटल 290 रु० की दर से भुगतान करता है, जबकि इसी प्रभेद का भारत सुगर मिल, सिंधौलिया जिला गोपालगंज रिजेक्ट मानकर 265 रु० प्रति क्विंटल की दर से भुगतान करता है, यदि हाँ, तो एक ही प्रभेद का अलग-अलग दर से सुगर मिल द्वारा भुगतान कर किसानों को उसके लाभ से वंचित करने का क्या औचित्य है ?

कब्रिस्तान की घेराबन्दी

*486. <u>श्रीमती एज्या यादव</u>--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला अन्तर्गत मोहिउद्दीनगर प्रखंड के मोहिउद्दीननगर उत्तरी पंचायत के कन्हौली गाँव एवं मोहिउद्दीननगर दक्षिणी पंचायतों के मोहम्मदपुर कुमैया कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं होने के कारण अतिक्रमण तथा कानूनी विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबन्दी कराना

*487. <u>श्री शिवचंद्र राम</u>--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के देसरी प्रखंड के रूसुलपुर हबीब और सहदेई प्रखंड के मुरौवतपुर पंचायत के जिन्दाबाद चौक के उत्तर कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के कारण कब्रिस्तान एवं ईदगाह की जमीन का अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों कब्रिस्तान की कबतक घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबन्दी

*488. <u>श्री (मो0) तौसीफ आलम</u>--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत बहादुरगंज प्रखंड में स्थित नटुआपाड़ा कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं की है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेरांबन्दी

*489. <u>श्रीमती अमिता भूषण</u>--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिले के सदर प्रखंड के हैवतपुर पंचायत, वार्ड 4 स्थित कब्रिस्तान की घेराबन्दी अभीतक नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी कबतक कराने का विचार रखती है, नही, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*490. श्री विनोद प्रसाद यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत डोभी प्रखण्ड के अमारूत बाजार पर एवं कुरमामां पंचायत के बभनदेव में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी निर्माण कराना

*491. श्रीमती गायत्री देवी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला का सोनबरसा थाना नेपाल बोर्डर पर स्थापित है, जिसके आधा हिस्सा में चहारदीवारी है और आधे हिस्से में चहारदीवारी नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार सोनबरसा थाना के शेष बचे हुये भाग में चहारदीवारी निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ओ० पी० थाना खोलना

*492. श्री शिवचंद्र राम--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के सहदेई प्रखंड के सलहा और पोहिआर पंचायत में ओ० पी० थाना नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि यहाँ ओ० पी० थाना नहीं रहने के कारण लोगों को 15 कि० मी० दूर जाना पड़ता है, और यहाँ आपराधिक घटनाएँ हो रही हैं और अपराधी अपराध करके भागने में सफल हो रहे हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सलहा और पोहियार के सीमान पर ओ० पी० थाना खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

ओ० पी० खोलना

*493. श्री राजेंद्र कुमार--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत हरसिद्धि विधान सभा के हरसिद्धि थाना से कई पंचायतों यथा भादा, ओलहा, मेहता टोला एवं अन्य की दूरी 20 कि० मी० से अधिक है;

(2) क्या यह बात सही है कि हरसिद्धि थाना से पंचायतों की दूरी अधिक होने के कारण आये दिन अपराधी आसानी से घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त पंचायतों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये मानिकपुर में ओ० पी० खोलने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*494. श्री सीताराम यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत जयनगर प्रखंड के बरही ग्राम में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने से कब्रिस्तान में पशुओं का जमावड़ा बना रहता है जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

व्यवस्था कराना

*495. श्रीमती सुनीता सिंह चौहान--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शिवहर जिलान्तर्गत तरियानी प्रखण्ड में स्थित बी० आर० सी० में विगत 7 वर्षों से एस० टी० एफ० का आवास बना दिया गया है, जिसके कारण शिक्षा से संबंधित कार्यालय के संचालन में काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त बी० आर० सी० से एस० टी० एफ० आवास की अन्यत्र व्यवस्था कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नियुक्ति करना

*496. श्री अनिल सिंह--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर सी० डब्लू० जे० सी० नं० 3450/1996 में पारित न्यायादेश दिनांक 8 सितम्बर, 2008 के अनुपालन में अधीक्षक, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल द्वारा समूह 'घ' के पद पर नियुक्ति हेतु श्री हरिनारायण राम सहित 40 व्यक्तियों की सेवा से संबंधित कागजात जिला पदाधिकारी, पटना को पत्रांक 11466, दिनांक 30 नवम्बर, 2017 द्वारा भेज दिया गया है, परंतु जिला पदाधिकारी, पटना की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक नहीं होने के कारण अजतक नियुक्ति नहीं हो पायी है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक जिला नियुक्ति समिति, पटना की बैठक कराकर न्यायादेश का अनुपालन करते हुये नियुक्ति करने का विचार रखती है ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*497. श्री (मो०) तौसीफ आलम--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत दिघल बैंक प्रखंड के धनगढ़ा कब्रिस्तान अति संवेदनशील कब्रिस्तान है, जिसकी आजतक घेराबंदी नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी कराना

*498. श्री नीरज कुमार--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत समेली प्रखंड के मलहरिया पंचायत के मरेली कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं किया गया है जिसके कारण कब्रिस्तान की जमीन का अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*499. श्री आलोक कुमार मेहता--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में हजारों की संख्या में अंचल कार्यालय द्वारा ऑनलाइन भरे गये आवेदन पत्रों तथा अंचल कार्यालय में आकर भरे गये आवेदन पत्रों के आधार पर आय प्रमाण-पत्र एवं आवासीय प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि इस प्रमाण-पत्रों पर आवेदन संख्या अंकित कर इनकी वैधता की जाँच सामान्य प्रशासन विभाग के वेबसाईट GAD. BIH.NIC. IN से करने की बात भी अंकित की गयी है जबकि विभाग के साईट पर जाँच करने पर सभी आवेदन-पत्रों को NOT Issuied/NOT verified बताया जाता है, जिससे राज्य के निवासी देशभर में जहाँ-तहाँ परेशान हो रहे हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो खंड (1) में वर्णित आय प्रमाण-पत्र एवं आवासीय प्रमाण-पत्र को वेबसाईट पर NOT Issuied/NOT verified दर्शाने का क्या औचित्य है ?

पुन: बहाल करना

*500. श्री अचमित ऋषिदेव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सुपौल जिला में किशनपुर थाना अन्तर्गत बौराहा पंचायत के ग्राम-खानपुर में वर्ष 1996-97 तक पुलिस चौकी स्थापित था, किन्तु वर्तमान में पुलिस चौकी नहीं रहने से कोशी महासेतु के आस-पास जान-माल की सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार कोशी महासेतु के पूर्वी भाग में दक्षिणी गाईड बाँध के नजदीक पूर्व में स्थापित पुलिस चौकी की पुन: बहाल करने की विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण कराना

*501. श्री नीरज कुमार--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत कुर्सेला प्रखंड में स्थित कुर्सेला थाना एवं आरक्षी भवन निर्माण हेतु कुर्सेला थाना 201, खाता सं० 33315, 3878, खेसरा 10393, 10398 रकबा क्रमश: 78 डी० एवं 22 डी० कुल 1 एकड़ भूमि चयनित 2 वर्ष पूर्व होने के बाद भवन का निर्माण नहीं किया गया, यदि हाँ, तो सरकार उक्त थाना भवन एवं आवासीय आरक्षी भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उपलब्ध करवाना

*502. श्री विनय बिहारी--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिला के लौरिया स्थित एच० बी० सी० एल० व सरकार की संयुक्त चीनी मिल प्रक्षेत्र के गन्ना किसानों का लगभग 70 प्रतिशत राशि का भुगतान 13 जनवरी से 10 अप्रील 2019 तक का नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त चीनी मिलों द्वारा किसानों के बकाये राशि का भुगतान ब्याज सहित कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस चौकी स्थापित करना

*503. श्री सत्यनारायण सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत अकोढ़ीगोला प्रखंड अकोढ़ीगोला थाना परिसर से 12 कि० मी० दूरी पर अवस्थित महुआरी-बधुआ गाँव के समीप भडकुल स्थान (खडेश्वरी धाम) में प्रत्येक वर्ष 50 हजार श्रद्धालु आते हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि यह स्थान अकोढ़ीगोला थाना, नोखा थाना, सासाराम मुफ्फसील थाना तथा बघैला थाना का सीमांत स्थान होने के कारण अपराधियों के लिये सुरक्षित है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त महुआरी-बुधुआ गाँव के समीप भडकुल स्थान पर पुलिस चौकी स्थापित करने का विचार राखती है, नहीं, तो क्यों ?

सुविधाएँ उपलब्ध कराना

*504. श्री तारकिशोर प्रसाद--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार स्थित औद्योगिक प्रागंण में बुनियादी सुविधायें, चहारदीवारी, ड्रेनेज सिस्टम तथा स्ट्रीट लाइट आदि सुविधाओं का अभाव है एवं 11000 वोल्ट का तार जर्जर है, जबकि मुलभुत सुविधा उपलब्ध कराने एवं रख-रखाव हेतु छः हजार रुपया प्रति वर्ष प्रत्येक इकाई से वसूल किया जाता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त औद्योगिक प्रागंण में मुलभूत सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*505. श्री लाल बाबु राम--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत सकरा प्रखंडान्तर्गत पंचायत गौड़िहार में अवस्थित गंज गौड़ीधार कब्रिस्तान की चहारदीवारी नहीं होने से वहाँ के स्थानीय लोग कब्रिस्तान की जमीन का अतिक्रमण कर रहे है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान को अतिक्रमण से मुक्त कराते हुये घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

काउंटर बढ़ाना

*506. श्री लाल बाबु राम--क्या मंत्री, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत प्रखंड सकरा मुख्यालय में आर० टी० पी० एस० का एक काउंटर होने से वहाँ के स्थानीय लोगों को काफी परेशानी होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रखंड के आर० टी० पी० एस० काउंटर की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*507. डॉ० रंजु गीता--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बोखड़ा प्रखंड स्थित ग्राम-झिटकी के वार्ड संख्या 14 में मो० मुस्तुफा के घर से पूरब कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने से स्थानीय लोगों में तनाव व्याप्त रहता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*508. श्रीमती सावित्री देवी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई जिलान्तर्गत प्रखंड चकाई के ग्राम-मुडियारी एवं कासीडीह में कब्रिस्तानों की घेराबंदी नहीं हुयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों गाँवों में स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*509. श्री प्रभुनाथ प्रसाद--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि आरा (भोजपुर) जिला के अगिआँव प्रखंड अन्तर्गत पोसवाँ पंचायत के ग्राम-अहिले में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ओ० पी० की स्थापना करना

*510. श्री शकील अहमद खाँ--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत कदवाँ प्रखंड के सोनैली बाजार में पुलिस ओ० पी० नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि विगत दो वर्षों से सोनैली बाजार पर आपराधिक घटनायें घट रही है साथ ही बाजार में 15 दिन पूर्व 50 लाख की लूट हुयी है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार सोनैली बाजार पर पुलिस ओ० पी० की स्थापना कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*511. श्री हेम नारायण साह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिलान्तर्गत प्रखंड भगवानपुर हाट ग्राम पंचायत उत्तरी साघर सुल्तानपुर राजस्व ग्राम-साघर सुल्तानपुर टोले होते हुये मलिकपुर जाने वाली रास्ते में स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने से आवारा पशु प्रवेश कर जाते हैं, तो क्या सरकार कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 8 जुलाई, 2019 (ई०) ।

बटेश्वर नाथ पाण्डेय,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।

वि० स० मु०--29, (एल० ए०)--2019-20--डी० टी० पी०--550--मुकेश प्र० शर्मा